जनता वन योजना

(गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण की योजना)

परिचय

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक तिहाई हिस्सा वनाच्छादित होना चाहिए। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र के मुकाबले 9 प्रतिशत से ऊपर है, परन्तु वास्तविक वनाच्छादित वन क्षेत्र मात्र 3.8 प्रतिशत ही है। विगत अर्द्ध शताब्दी में वनीकरण का कार्य मूल रूप से वन विभाग द्वारा ही किया गया है। परन्तु उपरांकित स्थित को देखते हुए जन भागीदारी से वनवर्धन का कार्य करने की महत्त के मददे्नजर समर्पित रूप से कार्य करने वाली गैर राजकीय संस्थाओं तथा ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से अनुपयोगी पड़त भूमि पर वृक्षारोपण कराने की यह महत्वाकांक्षी योजना गत वित्तीय वर्ष 1995–96 में प्रदेश में लागू की गई। जन सहभागिता की इस योजना का नाम राज्य सरकार द्वारा ''जनता वन योजना'' रखा गया है।

योजना का क्रियान्वयन

उक्त योजना प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ की गई है। इसलिए प्रारम्भिक तौर पर इसका क्रियान्वयन ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, पंचायतों, भूतपूर्व सैनिक संगठनों , अनुभवी गैर सरकारी संस्थानों को ही दिया जा रहा है। ऐजेन्सी का चयन उनकी पिछली सफलताओं एवं वानिकी कार्यों के प्रति उनके पूर्ण योगदान के आधार पर किया जाता है। यदि योजना सफल रहती है, तो भविष्य में निजी व्यक्तियों एवं अन्य संस्थाओं को भी इस कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है।

योजना के अन्तर्गत गैर मरूस्थलीय क्षेत्र में एक इकाई 20 हैक्टर की तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एक इकाई 12 हैक्टर की रखी गई है। सामान्यतः एक संस्था को एक ही कार्य इकाई आवंटित की जाती है। परन्तु अगर कोई संस्था एक से अधिक इकाई का कार्य करने की क्षमता रखती है, तो संस्था को एक से अधिक का आवंटन भी किया जा सकता है। इसका निर्णय सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर किया जाता है। कार्यकारी संस्था का चयन सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक से प्राप्त प्रस्तावों में से किया जा जाता है। आवंटित किये जाने वाले कार्यों की कोई निविदा सूचना किसी भी समाचार पत्र अथवा अन्य विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित नहीं की जाती है।

कार्यस्थल का चयन

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थल का चयन मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक द्वारा वर्ष के दौरान कराये जाने वाले वृक्षारोपण / अग्रिम मृदा कार्य

हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से किया जाता है। प्राथमिकता के तौर पर वन भूमि, पंचायत भूमि, औरण भूमि अथवा अन्य राजकीय भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित की जाती है। इस भूमि के वैधानिक स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा व कार्य करने वाली संस्था का मात्र इस योजना की भूमि पर कार्य करने का दायित्व रहेगा।

लागत

(अ) गैर मरूस्थलीय क्षेत्र – पंचायत भूमि वृक्षारोपण में लगाये जाने वाले पौधों की संख्या 1100 प्रति हैक्टर एवं पौधे की दूरी 3 मी.X 3 मी. रखी जावेगी। लागत अनुमान निम्नानुसार दिये जा रहे हैं :–

क्र. सं.	वर्ष	कार्य	लागत (रु. प्रति है.)
1	शून्य वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	6750/–
2	प्रथम वर्ष	वृक्षारोपण	5400/–
3	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष संधारण	2500/–
4	तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष संधारण	1300/–
5	चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष संधारण	1300/–
		योग :–	17250/–

(ब) मरूस्थलीय क्षेत्र – (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र – ब्लाक वृक्षारोपण) में लगाये जाने वाले पौधों की संख्या 835 प्रति हैक्टर एवं पौधे की दूरी 4 मी. X 4 मी. रखी जावेगी। लागत अनुमान निम्नानुसार दिये जा रहे हैं।

क्र. सं.	वर्ष	कार्य	लागत (रु. प्रति है.)
1	शून्य वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	1100/–
2	प्रथम वर्ष	वृक्षारोपण	6300/–
3	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष संधारण	3000/–
4	तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष संधारण	2200/–
5	चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष संधारण	1900/–
		योग :–	14500/–

कार्य अनुमान ''अ'' तथा ''ब'' का आधार वर्तमान में प्रचलित विभागीय बी.एस.आर. के अनुरूप है। ये लागत अनुमान मात्र विभागीय दिशा–निर्देश हैं। सम्बन्धित संस्था को अपनी विधि से कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। विभाग यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि मवेशियों की पौधों की चराई से सुरक्षा की समुचित

व्यवस्था की गई है और आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भ्झी किया गया है। आवश्यकतानुसार लगाये गये पौधों की समुचित सिंचाई हो सके यह भी वयवस्था सम्बन्धित संस्था द्वारा यथासम्भव अपेक्षित है। प्रति वर्ष देय राशि उस वर्ष के लिए निर्धारित पूर्वलिखित लागत से अधिक नहीं होगी। लागत अनुमान पारिश्रमिक दर 32/– प्रति दिवस पर आधारित है।

क्रियान्वयन प्रणाली

कार्यकारी एजेन्सी को ठेका पांच वर्षों के लिए (सम्पूर्ण वृक्षारोपण कार्य मय संधारण) दिया जाता है। आंशिक कार्य एवं आंशिक अवधि के लिए कोई ठेका नहीं दिया जाता है। किसी भी कार्यकारी एजेन्सी को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति / कार्यकारी एजेन्सी को देने का अधिकार नहीं होगा।

पात्रता

वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर गठित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, पंचायतों, भूतपूर्व सैनिक संगठनों एवं वानिकी विकास कार्यों हेतु कार्यरत अनुभवी गैर सरकारी संस्थानों को ही इस योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों के लिए चयनित किया जाता है।

भुगतान की विधि

कार्यकारी संस्था को समय–समय पर उसके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर रनिंग बिल के माध्यम से भुगतान किया जाता है। भुगतान योग्य राशि का आंकलन उस देय राशि में किये गये कार्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। भुगतान सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक द्वारा किया जाता है। कार्य की स्थिति का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र में जानवर आदि के प्रवेश करने के लिए क्या बाड़बंदी की गई है, पानी रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं तथा पौधों को आवश्यक पानी मिल सके, इसकी क्या व्यवस्था हुई है और पौधे लगाने के लिए समुचित गड्डे बनाये गये हैं, यह भुगतान से पूर्व देखा जाता है।

वित्तीय संसाधन

इस योजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु निम्नानुसार वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं –

	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	योग
इं.गां.न.परि. क्षेत्र	2.64	15.12	7.20	5.28	4.56	34.80
गैर मरूस्थलीय क्षेत्र	13.50	10.80	5.00	2.60	2.60	34.50
	16.14	25.92	12.20	7.88	7.16	69.30

शर्तें

1. चयनित संस्था/ समिति को 5 वर्ष के लिए मान्य, 20000/– रुपये की बैंक गारंटी अथवा फिडिलिटी गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। उक्त गारंटी सम्बन्धित उप वन संरक्षक/ मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।
2. कार्यकारी संस्था द्वारा मांग करने पर, संस्था को देय प्रति वर्ष की राशि का 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान उस वर्ष के लिए किया जा सकेगा। उक्त अग्रिम राशि, संस्था को रनिंग बिल के आधार पर भविष्य में होने वाले भुगतान में से किस्तों में काटी जावेगी। किस्त की सीमा रनिंग बिल की राशि के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।
3. कार्यकारी संस्था / समिति को कार्य के समय से क्रियान्वयन हेतु एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। कार्य शिड्यूल / कलैण्डर की प्रति उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा कार्यकारी संस्था / समिति को अनुबंध के समय उपलब्ध कराई जावेगी। मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक, समिति/ ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन अपनी देखरेख में करवायेंगे।
4. कार्यकारी संस्था / समिति को वृक्षारोपण क्षेत्र में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की समाप्ति पर 70 प्रतिशत चतुर्थ वर्ष में 65 प्रतिशत तथा पांचवे वर्ष की समाप्ति पर 60 प्रतिशत जीवित पौधे बताने होंगे।
5. उक्त मानदंडों में कम पौधे जीवित होने पर उसी प्रतिशत में तद्नुसार संस्था / समिति को भविष्य में होने वाले भुगतान के बिलों / बैंक गारंटी/ फिडिलिटी गारंटी में से राशि की कटौती कर ली जावेगी। सत्यापन के समय समिति का अध्यक्ष अथवा उसका प्रतिनिधि साथ रहेगा।
6. कार्य के क्रियान्वयन के दौरान विभागीय अधिकारियों को कार्य के सत्यापन का पूर्ण अधिकार होगा। उक्त सत्यापन मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक की देखरेख में किया जावेगा।
7. कार्यकारी संस्था के असफल होने / कार्य छोड़कर चले जाने की स्थिति में अवशेष कार्य विभागीय माध्यम से पूर्ण कराया जावेगा।
8. इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करने हेतु कार्यकारी संस्था / समिति को उपयुक्त किस्म के पौधे वन विभाग कार्य स्थल पर निशुल्क उपलब्ध करवायेगा।
9. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में फैंसिंग मैटेरियल, ऐंगल आयरन, कांटेदार तार, पम्प सेट्स, पाईप (सिंचाई के उपकरण) आदि आवश्यकतानुसार विभाग उपलब्ध करवायेगा।
10. घास का उन्नत किस्म का बीज भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
11. प्रत्येक वर्ष पौधों के जीवित रहने की स्थिति देखी जावेगी। जीवित पौधों का प्रतिशत सामान्य न होने पर विभाग को अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार

होगा। यह निर्णय रेगिस्तानी क्षेत्र में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक एवं गैर रेगिस्तानी क्षेत्र के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक (विकास) के स्तर पर होगा।

आवश्यक प्रशिक्षण

कार्यकारी संस्था / समिति को वृक्षारोपण कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रशिक्षण वन विभाग द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

प्रजातियों का चयन

(अ) गैर मरूस्थलीय क्षेत्र हेतु :
नीम, शीशम, सिरस, महुआ, खैर, चुरैल, खिरनी, हल्दू, बांस, आंवला, अरडू इत्यादि।

(ब) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र हेतु :
शीशम, अरडू, पोपूल्स, खेजड़ी, रोहिड़ा, गूंदी, बेर, इजरायली बबूल, लिसोड़ा इत्यादि।
उपरांकित वृक्ष प्रजातियों का चयन वृक्षारोपण स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप किया जाना चाहिए।

संस्था / समिति को अन्य लाभ :

कार्यकारी संस्था / समिति वृक्षारोपण क्षेत्र से घास एवं अन्य लघु वन उपज स्थानीय ग्रामवासियों की मांग की पूर्ति हेतु निशुल्क एकत्रित कर सकेगी।
यह योजना अधिकाधिक जन भागीदारी बढ़ाने तथा साझा वन प्रबंध की नीति के आधार पर लागू की गई है, जिसकी सफलता सक्रिय जन सहयोग पर निर्भर करती है।